न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ललित मीना (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या– 08 / 2016

1–रामवीर 2– विजेन्द्र पुत्रगण रामसिंह जातिगण जाटव निवासीगण सखवारा तहसील सैंपऊ हाल निवासी ग्राम भरती का नगला सेवला तहसील सदर आगरा जिला आगरा उ0प्र0 3–पिन्की पुत्री रामसिंह पत्नी अजय कुमार जाति जाटव निवासी ग्राम सखवारा हाल निवासी नगला कुआ जसवन्त नगर तहसील जसवन्त नगर जिला इटावा उ0प्र0 ....वादीगण

बनाम

1–रविकान्त पुत्र भूरीसिंह जाति कोली निवासी मनियां तहसील व जिला धौलपुर 2–हरप्यारी पत्नी स्व0 तेजसिंह 3–पप्पू 4–भूरीसिंह पुत्रगण स्व0 तेजसिंह जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम महुआखेडा तहसील खेरागढ़ जिला आगरा उ0प्र0 5–गीता पुत्री तेजसिंह पत्नी बाबूलाल 6–पूरनदेई पुत्री तेजसिंह पत्नी कैलाशी 7–रूपसिंह पुत्र सोरन व सोनदेई जाटव निवासीगण ग्राम महुआखेडा तहसील खेरागढ जिला आगरा 8–रामा पुत्री अंगूरी व बीधा 9–करूआ 10–रतनसिंह पुत्रगण अंगूरी व बीधा जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम करका खेरली तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर 11–बैजन्ती पत्नी कमलेश पुत्री तेजसिंह 12–बसन्ती पत्नी घूरेलाल पुत्री तेजसिंह जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम भाकर तहसील खेरागढ जिला आगरा 13–रतनदेवी पत्नी बाबूलाल जाति जाटव निवासी ग्राम नीम की बसई तहसील व जिला धौलपुर 14–मुन्नी पत्नी हीरो जाति धोबी निवासी ग्राम सखवारा तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर
15–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

.... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188
आर.टी.एक्ट बाबत् बटवारा काश्त, स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति – 1–श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट ....(वादीगण)

निर्णय दिनांक 13.04.2022

संक्षिप्त में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते बटवारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1062, 1063, 1722, 1725, 1737, 1739, 1740, 1742, 1745, 1054, 1056 स्थित वाकेग्राम सखवारा तहसील सैपऊ का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या–13 जरिये वकालतनामा उपस्थित हुये। शेष प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं गुणावगुण के आधार पर दावा दिनांक 11.10.2017 को दावा वादी प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात् का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उनके रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार कब्जे को ध्यान में रखते हुये बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

...जी के पक्षकारों के रिकार्ड मे दर्ज हिस्सों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर ...जवायें ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांकःराजस्व/2022/123 दिनांक 10.02.2022 विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। प्रतिवादी संख्या–13 के अभिभाषक द्वारा पैरवी करने से इन्कार किया गया इस बाबत् तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर विद्वान वादी अभिभाषक को सुना गया तथा विद्वान अभिभाषक द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से ड़िकी किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम सखवारा तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–रामवीर विजेन्द्रसिंह पुत्रान रामसिंह पिंकी पुत्री रामसिंह हि0ब0 जाति जाटव सा0देह खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	1054/1	0.1644	बा.प्र.
2.	1056/1	0.2149	बा.आ.
3.	1062	0.3414	बा.प्र.
4.	1063	0.0253	गै.मु.कु.
5.	1737/2	0.0126	चा.आ.
6.	1742	0.4299	चा.आ.ज.आ.
7.	1745/1	0.2025	बा.सो.
8.	1060/2	0.3667	बा.प्र.

योग किता– 8 कुल रकवा 1.7577 हैक्टेयर

2–तेजसिंह पुत्र देबीसिंह जाति जाटव सा0देह खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	1722	0.1391	बा.सो.
2.	1725	0.0759	बा.सो .
3.	1737/1	0.1644	चा.आ.ज.आ..

योग किता– 3 कुल रकवा 0.3794 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ जिला–धौलपुर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

3—रतनदेवी पत्नी बाबूलाल जाति जाटव सा0 नीम की बसई तहसील धौलपुर खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	1739	0.2023	बा.सो.
2.	1740	0.2908	बा.सा.
3.	1745/2	0.1389	बा.सो.

योग किता— 3 कुल रकवा 0.632 हैक्टेयर

4—रविकान्त पुत्र भूरीसिंह जाति कोली सा0 मनियां खातेदार।

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	1060/1	0.3667	बा.प्रथम

योग किता— 1 कुल रकवा 0.3667 हैक्टेयर

5—मुन्नी पत्नी हीरो जाति धोबी सा0 देह खातेदार।

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	1054/2	0.1644	बा.प्रथम
2.	1056/2	0.2150	बा.अ.

योग किता— 2 कुल रकवा 0.3794 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक—पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक दूसरे के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व दफा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.04.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी जिला—धौलपुर (राज0)